**<u>प्रशासकीय मान्यता</u>**

**शहादा, जि. नंदुरबार येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (स्टिल्ट/तळ + १ ते ५ मजले) (१३ कोर्ट हॉल्स) बांधणेबाबत.**

**महाराष्ट्र शासन**

**विधि व न्याय विभाग**

**शासन निर्णय क्रमांक सीसीबी ११२६/प्र.क्र.५९/का.१३**

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक: - ०३ नोव्हेंबर, २०२६.

**<u>पहा</u>:-**

मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), मा. उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी.(डब्ल्यू) ६०५४ /१९९२/(५)/१४३२/३०३९८, दिनांक ४ जुलै, २०२६ रोजीचे पत्र.

**<u>प्रस्तावना :-</u>**

शहादा, जि. नंदुरबार येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (स्टिल्ट/तळ +१ ते ५ मजले) (१३ कोर्ट हॉल्स) बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

**<u>शासन निर्णय :-</u>**

**शहादा, जि. नंदुरबार येथे नवीन न्यायालयीन इमारत (स्टिल्ट/तळ +१ ते ५ मजले) (१३ कोर्ट हॉल्स) बांधण्याकरीता रु. ७९.१८ कोटी (रुपये एकोणऐंशी कोटी अठरा लाख फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet नुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.**

**२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:-**

१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे.

२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात.

३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.

४) ढोबळ स्वरुपात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रकात वाढ होणार नाही, याची खात्री करूनच काम हाती घ्यावे.

५) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी.

६) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी.

७) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, दिनांक ७ जुलै, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.

९) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी.

१०) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करु नये.

११) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत.

१२) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.

१३) नवीन नमुना नकाशे तयार करण्यात येऊन ते मा. उच्च न्यायालयाच्या समितीकडे सादर करावे. नवीन नमुना नकाशे मा. उच्च न्यायालयाने मान्य केल्यावर त्यांचा वापर त्यानंतरच्या इमारतींसाठी करण्यात यावा.

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी "मागणी क्र. जे-४ ४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च ०१- कार्यालयीन इमारती ०५१, बांधकाम (०१) न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, (०१)(०४) न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) केंद्र हिस्सा ६०% (४०५९ ३२९७) ५३,मोठी बांधकामे तसेच (०१) न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, (०१)(०१) न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) राज्य हिस्सा ४०% (४०५९ ३२६१) ५३, मोठी बांधकामे आणि (०२) विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम व न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरविणे (०२) (०३) विधि वन्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम व न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम) (४०५९ ३३७७) ५३, मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये.

४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमाक १७३/इमा-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२६ व मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक २३ सप्टेंबर, २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या

तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२६११०३११४०४७५८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

VILAS V GAIKWAD

Digitally signed by VILAS V GAIKWAD
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Law and Judiciary Department, 2.5.4.20=64F5AB9E019C90ADSDB684984DF113ED09062245CB9E042BE5B12E5AA482FC17, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=CD7BB8BAA2D72280DD453A12422482D4768A126C83ECB44E84A8186EED4352A0, cn=VILAS V GAIKWAD
Date: 2026.11.03 11:42:57 +05'30'

**(विलास वसंत गायकवाड)**
**विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रति,**

१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई.
२) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई.
३) मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई.
४) मा. प्रबंधक (निरीक्षणे-२), बी. (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई.
५) मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार.
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर.
७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक.
८) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे.
९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा.
१०) निवड नस्ती (का.१३)

04/ff.

**Name of the Department : Law & Judiciary Department**

**Name of Work : Construction of New Court Building (13 Court Hall) at Shahada, Tal. Shahada Dist- Nandurbar.**

**Executing Agency : Public Works Department**

**Land Availability : Yes**

**Architect : Government**

## RECAPITULATION SHEET

| Sr. No. | Particulars of Scope | | Unit Rate Norms Rs Per (Sqmt./ Meter/ LumpSum etc.) | | Cost in Rs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Component Wise | Total |
| (A) | **ESSENTIAL ITEMS (Components)** | | | | | |
| 1 | **Building proper (Built Up Area - Sq.m)** | | | | | |
| | Stilt Parking | 947.54 | Sq. M | 16,000 | 15,160,640 | |
| | Ground Floor (B.U.A.) | 1627.57 | Sq. M | 34,000 | 55,337,380 | |
| | First Floor | 2104.23 | Sq. M | 28,000 | 58,918,440 | |
| | Second Floor | 2487.24 | Sq. M | 28,000 | 69,642,720 | |
| | Third Floor | 2238.18 | Sq. M | 28,000 | 62,669,040 | |
| | Forth Floor | 2238.18 | Sq. M | 28,000 | 62,669,040 | |
| | Fifth Floor | 1556.19 | Sq. M | 34,000 | 52,910,460 | |
| | **Total B.U.A. =** | **13199.13** | **Sq. M** | | **Sub Total (A1)** | **377,307,720** |
| 2 | Electrification | Internal | | 5% of (A1) | 18,865,386 | |
| | | External | | 6% of (A1) | 22,638,463 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | | @800/Sq.mt. | 10,559,304 | |
| | Pump House & Borewell & DG Set | | | L.S. | 5,000,000 | |
| | Lifts | 6 | | 2500000 | 15,000,000 | |
| | CCTV/LAN/WAN/Video Conferencing/LV Sys | | | L.S. | 8,000,000 | |
| | Solar System | | | L.S. | 2,500,000 | |
| | Transformer | | | L.S. | 2,500,000 | |
| | Air Conditioning | | | L.S. | 12,000,000 | |
| | | | | | **Sub Total (2)** | **97,063,153** |
| 3 | Water Supply & Sanitary Works | | 5% of (A1) | | **Sub Total (3)** | **18,865,386** |
| 4 | Furniture | 8576.40 | | 10,000 | **Sub Total (4)** | **85,764,000** |
| | | | | | **Sub Total (A)** | **579,000,259** |
| (B) | **MISCELLANEOUS ITEMS** | | | | | |
| | Compound Wall & Gate | 385.00 | Rmt | 13,500 | 5,197,500 | |
| | U/G Water Storage | 100000.00 | Litres | 46 | 4,600,000 | |
| | Internal /Approach Roads, Land Development, CC Drain, Land Scaping Etc. | | 4.5% of (A1) | | 16,978,847 | |
| | Accoustic Treatment | | | L.S. | 1,000,000 | |
| | Demolish of Existing Structure | | | L.S. | 500,000 | |
| | Temparory Court (Repair / Shifting) | | | L.S. | 9,655,016 | |
| | Elevation Treatment | | | L.S. | 5,000,000 | |
| | | | | | **Sub Total (B)** | **42,931,363** |
| | | | | | **Project Cost (P)= (A) + (B)** | **621,931,623** |
| (C) | **PROVISIONS** | | | | | |
| | **(i) Contingencies 3% on (sub total A1)** | | | | **11,319,232** | |
| | **(ii) GST 18% on (P)** | | | | **111,947,692** | |
| | **(iii) Price Escalation 5% on (P)** | | | | **31,096,581** | |
| | **(iv) Labour Insurance 1% on (P)** | | | | **6,219,316** | |
| | **(v) PMC Charges 1.5 % on (P) (Incl. GST)** | | | | **9,328,974** | |
| | | | | | **Sub Total (C)** | **169,911,795** |
| | **TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C)** | | | | | **791,843,418** |
| | | | | | **Say in Lakh** | **7918.43** |
| | | | | | **Say in Lakh** | **79.18** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bldg Civil (A1) | | `= | Rs | 28,586 | /Sqm |
| 2 | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) | | `= | Rs | 43,867 | /Sqm |
| 3 | Total (A+B) | | `= | Rs | 47,119 | /Sqm |